न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 160/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/268)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सतदेव कम्बोज पुत्र रमेश कुमार जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर।		1. रमेश चन्द पुत्र रामदित्ता जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 20.08.2024

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2. श्री रोशन लाल राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

---निर्णय--- दिनांकः 30.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 133/79 के मुरब्बा नम्बर 38, 70/42 की कुल 3.037 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रमेश चन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक एंव संयुक्त खानदान की भूमि है, जो प्रतिवादी संख्या 1 को पारिवारिक सम्पति विभाजन अनुरूप अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित समस्त भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती है। कोपार्सनरी भूमि में कोपार्सनरी सदस्य का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। वादी, प्रतिवादी संख्या 1 का विधिक प्रतिनिधि है। इसलिए वादी का प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक व हिस्सा बनता है और दावा ला पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 के सोमा(पत्नी), सतदेव(पुत्र), सुधीर(मृतक पुत्र) वारिसान है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक शराबी किस्म का व्यक्ति है। जो कई बार सारा-सारा दिन नशे में धुत रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 एक मिनट भी नशे के बिना नहीं रह सकता है। प्रतिवादी, वादी से नशे हेतु पैसे मांग करता है तथा वादी व उसकी माता साथ अभद्र व्यवहार करता है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिदिन धमकिया देता है कि वह अपने नाम से दर्ज भूमि का बेचान करके अपनी नशे की लत को पूरा करेगा। वादी, प्रतिवादी संख्या 1 का एकमात्र वारिस है तथा वादी द्वारा ही घर की तमाम सार संभाल की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि के अलावा वादी के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान करता है तो वादी को नाम पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा और वादी को अपने हक व हिस्सा से वंचित होना पडेगा। इस कारण वादी पैतृक सम्पति में अपने हक व हिस्सा की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को चक 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 133/79 के मुरब्बा नम्बर 38, 70/42 की कुल 3.037 हैक्टेयर भूमि में से वादी के हक हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3 ता 7 सालम-सालम, किला नम्बर 8 की 0.191 हैक्टेयर कुल 1.456 हैक्टेयर भूमि को एकल खाता में दर्ज किए जाने आदेश दिये जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा मिसल पेशी में लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, पत्रावली दिनांक 27.08.2024 को पेशी में ली गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठोड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। सामिल मिसल किया गया। जिसके अनुसार वादी का उक्त वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। वादी सतेदव व प्रतिवादी रमेश चन्द के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा के अनुसार वादी को राजस्व ग्राम 13 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3 ता 7 सालम-सालम, किला नम्बर 8 की 0.191 हैक्टेयर कुल 1.456 हैक्टेयर भूमि खातेदार घोषित किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजीनामा वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा, राजीनामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी सतदेव पुत्र रमेश चन्द को राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 133/79 के मुरब्बा नम्बर 38, 70/42 की कुल 3.037 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3 ता 7 सालम-सालम, किला नम्बर 8 की 0.191 हैक्टेयर कुल 1.456 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादी के नाम एकल खाता में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सतदेव बनाम रमेश चन्द आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए

मुकदमा नम्बर **160/2024**

निर्णय दिनांक :- 30.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू प्रतिवादी अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी सतदेव पुत्र रमेश चन्द को राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 133/79 के मुरब्बा नम्बर 38, 70/42 की कुल 3.037 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3 ता 7 सालम-सालम, किला नम्बर 8 की 0.191 हैक्टेयर कुल 1.456 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादी के नाम एकल खाता में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 30.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

	रुपया	पैसा
मुददई	02	00
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	04	00
योग		

	रुपया	पैसा
मुदायली	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प अर्जी	00	00
मेहनताना वकील पर	**04**	**00**
योग		

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2024/486 दिनांकः 30.08.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर